डाक विभाग की महिला कर्मचारी की हत्या, पति फरार

- स्कूल से लौटे बच्चों ने देखा मां का खून से सना शव
- सुबह पिता ने कहा था- हम भोपाल जा रहे हैं

नव भारत न्यूज

इंदौर. संयोगितागंज थाना क्षेत्र की डाककुंज कॉलोनी में शनिवार को डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी उम्र 38 साल की घर के भीतर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद पति अखिलेश सैनी फरार हो गया. दोपहर में स्कूल से लौटे दोनों बच्चों ने मां का खून से लथपथ शव देखा तो घटना का खुलासा हुआ. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है.

दोपहर करीब एक बजे दोनों बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला और अंदर टीवी तेज आवाज में चल रहा था. कमरे में पहुंचते ही उन्होंने मां का शव खून से लथपथ पड़ा देखा. घबराए बच्चों ने नाना सत्यनारायण मालाकार को फोन किया. सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी. पुलिस जांच में सामने आया कि शनिवार सुबह अखिलेश सैनी बच्चों के स्कूल पहुंचा था. उसने बच्चों से कहा कि वह और उनकी मां भोपाल जा रहे हैं तथा छुट्टी के बाद मौसी के घर चले जाना. उसने बेटी को घर की चाबी, एटीएम कार्ड और जेवरों की जानकारी भी दे दी थी. हालांकि दोनों बच्चे सीधे घर पहुंचे और वारदात का पता चला.

परिजन बोले ... आए दिन पत्नी से विवाद करता था अखिलेश

परिजनों ने पुलिस को बताया कि अखिलेश कोई स्थायी काम नहीं करता था और आए दिन पत्नी से विवाद करता था. उनका आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते उसने उर्मिला की हत्या कर दी. वहीं कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आरोपी पत्नी पर शक करता था. भोपाल में रहने के दौरान भी दोनों के बीच विवाद हुआ था और मामला थाने तक पहुंचा था. घटना की सूचना पर एसीपी निधि दंडोतिया, संयोगितागंज और पलासिया पुलिस तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया. पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

मामले में अभी जांच की जा रही है...-महिला की हत्या का मामला सामने आया है, प्रथम दृष्टया पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. आरोपी पति घटना के बाद से फरार है, उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी.

एसीपी, निधि दंडोतिया

रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से 1.70 करोड़ की ठगी मामले में बड़ी सफलता

- एक आरोपी को हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र से किया गिरफ्तार
- गिरफ्तार आरोपी पर 40 लाख का माल मंगाकर भुगतान न करने का है आरोप
- राजवाड़ा के 16 व्यापारियों ने दर्ज कराई थी माल लेकर भुगतान न करने की शिकायत

नव भारत न्यूज

इंदौर. रेडीमेड कपड़ा कारोबारियों से 1.70 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे एक आरोपी को हैदराबाद के चारमीनार से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अकेले 40 लाख का माल लेकर भुगतान नहीं करने का आरोप है. उसे ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर लाकर पूछताछ की जा रही है.

मार्च 2025 में राजवाड़ा क्षेत्र के 16 रेडीमेड कपड़ा कारोबारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि दलाल अशोक गोपलानी और उसके साथी कार्तिक ने खुद को बाहरी बड़ी कपड़ा फर्मों से जुड़ा बताकर उनका भरोसा जीता. दोनों ने 30 से 45 दिन में भुगतान का भरोसा दिलाकर मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, राजस्थान और तेलंगाना की विभिन्न फर्मों को उधार में माल भिजवाया. इसी दौरान हैदराबाद की रॉयल क्रिएशन के 52 वर्षीय संचालक मोहम्मद अकरम निवासी याकूतपुरा, चारमीनार ने करीब 40 लाख का रेडीमेड गारमेंट्स और ड्रेस मटेरियल लिया, लेकिन तय समय पर भुगतान नहीं किया. बाद में आरोपी और उसके साथियों ने भुगतान के नाम पर टालमटोल शुरू कर दी और फिर मोबाइल बंद कर फरार हो गए. व्यापारी जब हैदराबाद पहुंचे तो बताए गए पते पर कोई व्यवस्थित कारोबार नहीं मिला. बिल, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, परिवहन दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था.

अन्य अरोपियों की तलाश जारी है- डीसीपी (क्राइम) राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी ने इंदौर के कपड़ा कारोबारियों से करीब 40 लाख का माल लेने के बाद भुगतान नहीं किया था. पूछताछ में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, संबंधित फर्मों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है.

आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से दिया ठगी को अंजाम

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से व्यापारियों का विश्वास जीतकर करीब 1.70 करोड़ का माल विभिन्न फर्मों के जरिए मंगवाया और भुगतान किए बिना फरार हो गए. मामले में पहले ही तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. फरार चल रहे मोहम्मद अकरम की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम को हैदराबाद भेजा. तकनीकी इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर याकूतपुरा क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया. स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आरोपी को इंदौर लाया गया.

पानी से भरे गड्ढे में डूबने से व्यक्ति की मौत

इंदौर. कनाड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम झलारिया में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का नाम जीवन पिता मेहरवान सिंह, निवासी झलारिया, कनाड़िया बताया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जीवन घर के पास से गुजर रहे थे, तभी पैर फिसलने या अंधेरा होने के कारण वे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए. अधिक पानी होने और समय पर मदद नहीं मिलने से उनकी डूबने से मौत हो गई. थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पॉक्सो केस में आरोपी पिता को मिली बेटी की अभिरक्षा

- इंदौर हाई कोर्ट का फैसला...
- नाबालिग की इच्छा और भविष्य को दी प्राथमिकता, सुरक्षा के लिए भी जारी किए निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पॉक्सो मामले में आरोपी एक पिता को उसकी 14 वर्षीय बेटी की अभिरक्षा सौंपने का आदेश दिया है.

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नाबालिग की इच्छा, उसकी पढ़ाई और भविष्य को प्रमुख आधार मानते हुए यह निर्णय सुनाया. साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

मामले की शुरुआत वर्ष 2020 में पति पत्नी के बीच हुए पारिवारिक विवाद से हुई थी. अगले वर्ष मां ने पति पर छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया, जिसके चलते पिता को 51 दिन जेल में रहना पड़ा. हालांकि ट्रायल के दौरान नाबालिग ने अपने लिखित बयान में आरोपों से पिता को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसने मां के दबाव में पहले बयान दिए थे. इसी बीच बाल संरक्षण समिति ने प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बच्ची को आश्रय गृह भेज दिया. इसके विरोध में पिता और बड़ी बहन ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने सभी पक्षों से अलग अलग बातचीत की. नाबालिग ने पिता के साथ रहने की इच्छा जताते हुए बताया कि वह उनके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है और आईआईटी की तैयारी करना चाहती है. बड़ी बहन ने भी वैवाहिक विवाद के चलते मां द्वारा छोटी बहन पर दबाव बनाने की बात कही. सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने माना कि नाबालिग अपने हितों को समझने में सक्षम है. ऐसे में उसकी इच्छा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा पिता को सौंपना उचित होगा. साथ ही निर्देश दिए गए कि बच्ची को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए, जिसमें स्थानीय थाना प्रभारी का नंबर पहले से सुरक्षित रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह तत्काल पुलिस से संपर्क कर सके. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल नाबालिग की अभिरक्षा से संबंधित है. पॉक्सो प्रकरण की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित रहकर साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई और निर्णय करेगी.

एक नजर में

सातेर में प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लगीं पोल लाइट

महू. तहसील महू की ग्राम पंचायत सातेर में जनसुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और संस्थागत परिसरों को पोल लाइट स्ट्रीट लाइट की सौगात दी गई है. इससे अब क्षेत्र के व्यस्त और अंधेरे रास्ते रोशनी से जगमगा उठे हैं. पंचायत द्वारा किशनगंज शासकीय स्कूल परिसर, चंदन गुरु व्यायामशाला, मुक्तिधाम परिसर, ग्राम पंचायत भवन के सामने, व्यस्त विक्रम नगर चौराहा और मुख्य एबी रोड चौराहा पर पोल लाइटें लगाई गई हैं. सरपंच प्रतिनिधि मनोज कौशल ने बताया कि इन चिन्हित स्थानों पर रात के समय अंधेरा होने के कारण राहगीरों को भारी असुविधा होती थी और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता था. विशेषकर शासकीय स्कूल और व्यायामशाला के आसपास रोशनी होने से छात्र-छात्राओं और युवाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा. एबी रोड जैसे मुख्य चौराहे पर पोल लाइट लगने से वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि ग्राम पंचायत के अन्य प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जल्द ही पोल लाइटें लगाई जाएंगी.

असहाय और अभावग्रस्त बच्चों की सारथी बनी वात्सल्य संस्था

महू. असहाय एवं अभावग्रस्त विद्यार्थियों के प्रति समर्पित संस्था वात्सल्य द्वारा इस वर्ष भी नि:शुल्क अभ्यास पुस्तिका वितरित की गईं. विभिन्न चरणों में होने वाले इस सेवा कार्य के तृतीय चरण के तहत स्थानीय श्री एकेडमी कोदरिया में एक गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ. इसमें 6 विभिन्न विद्यालयों के कक्षा तीसरी से आठवीं तक के 150 विद्यार्थियों को नि:शुल्क कॉपियां वितरित की गईं. श्री एकेडमी की प्राचार्या हेमलता पाटीदार की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ समाजसेवी रामलाल प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ. इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सुरेश खण्डेलवाल एवं कार्यक्रम संयोजक कमलेश मिश्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. संचालन राजेश पाटीदार ने किया. आभार संस्था अध्यक्ष सुरेश खण्डेलवाल ने व्यक्त किया. इस अवसर पर संस्था सदस्य अभिलाष इजारदार, बाबूलाल वर्मा सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण मौजूद थे.

न्यायाधीशों ने पंच-ज अभियान के तहत किया वृक्षारोपण

महू. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर अजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा देवी अहिल्याबाई होल्कर दशहरा मैदान में पंच-ज अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रथम जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव ने की. इस अवसर पर न्यायाधीशगणों द्वारा विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया. कार्यक्रम को सफल बनाने में वन परिक्षेत्र महू तथा कैंटोन्मेंट बोर्ड का विशेष समन्वय रहा. इस गरिमामयी कार्यक्रम में पंचम जिला न्यायाधीश भरत कुमार व्यास, तृतीय जिला न्यायाधीश विशाल शर्मा, न्यायाधीश फरहान कुरैशी तथा श्रीमती श्वेता मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे. इसके साथ ही वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी नयन कुमार पालवी, परिक्षेत्र सहायक दुर्गेश कुशवाह, वनरक्षक प्रदीप भदोरिया, कृष्णकांत पाठक और न्यायालयीन स्टाफ की तरफ से दीपक ठवरे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.

ट्रेन में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

- आरोपी से 1.59 लाख के जेवर और मोबाइल बरामद

नव भारत न्यूज

इंदौर. जीआरपी रतलाम ने ट्रेन में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 1.59 लाख कीमत का चोरी गया मंगलसूत्र, सोने की बालियां और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है.

दर्ज चोरी के मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पंकज गौतम उम्र 28 साल निवासी ग्राम रोन, जिला भिंड तक पहुंची. टीम ने 8 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर करीब 10 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र, दो ग्राम वजनी दो सोने की बालियां और एमआई कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया. जब्त माल की कीमत करीब 1.59 लाख बताई गई है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से ओप्पो और वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन भी मिले. इनके संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जीआरपी ने अलग से इस्तगासा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी ने अन्य जगहों पर भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

कुख्यात टांडा गैंग का एक गुर्गा धराया, सरकारी वाहन से टक्कर मारकर पकड़ा

- पुलिस ने पीछा कर दबोचा, चोरी की दो बाइक बरामद
- अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी हो गए फरार

नव भारत न्यूज

इंदौर. हीरानगर पुलिस ने धार की कुख्यात टांडा गैंग के एक वाहन चोर को पीछा कर गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने के लिए भाग रहे आरोपी को आईटीआई चौराहे के पास सरकारी वाहन से टक्कर मारकर पकड़ा. आरोपी के कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत करीब 80 हजार रुपए बताई गई है. शनिवार रात गश्त के दौरान पुलिस और नगर सुरक्षा समिति की टीम को एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर जाता दिखाई दिया. रोकने का प्रयास करने पर वह बाइक लेकर भाग निकला, उसके साथ तीन-चार अन्य साथी भी थे. पुलिस ने पीछा किया और आईटीआई चौराहे के पास घेराबंदी कर सरकारी वाहन से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया. हालांकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पूछताछ में आरोपी का नाम दिलीप पिता मदन भूरिया निवासी ग्राम भूतिया, जिला धार बताया गया है. जांच में उसके टांडा गैंग का सदस्य होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं.

कुछ और वारदातों का खुलासा हो सकता है... हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है. वहीं गैंग के फरार साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं.

पत्नी से विवाद के बाद मैरिज गार्डन के चौकीदार ने फांसी लगाई

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र के मंगल नगर स्थित एक मैरिज गार्डन में चौकीदारी करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान कमल पिता अमरा, निवासी हीरानगर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले किसी बात को लेकर उनका पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद वे मानसिक तनाव में आ गए. इसके बाद उन्होंने मैरिज गार्डन परिसर में ही फंदा लगाकर जान दे दी. लोगों की नजर पड़ने पर उन्हें तत्काल फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

बस से 210 ली. अवैध शराब जब्त, दो तस्कर धराए

- इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब और बीयर की खेप
- 2.10 लाख रुपए की शराब और 50 लाख की बस जब्त

नव भारत न्यूज

इंदौर. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक स्लीपर बस से 210.480 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करीब 2.10 लाख रुपए कीमत की शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही करीब 50 लाख रुपए की बस जब्त की है. पांडे बस सर्विस के सामने खड़ी स्काय ट्रेवल्स की बस की डिग्गी में अवैध शराब रखे होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस की तलाशी ली. डिक्की से विभिन्न ब्रांड की 186.480 लीटर अंग्रेजी शराब और 24 लीटर बीयर सहित 210.480 लीटर शराब बरामद हुई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब इंदौर से कम कीमत पर खरीदकर गुजरात के सूरत सहित अन्य शहरों में अधिक दाम पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी.

एक आरोपी धार और दूसरा खरगोन का रहने वाला- आरोपियों के नाम परमेश्वर वैष्णव उम्र 40 साल निवासी ग्राम बड़ौद खुर्द, जिला धार तथा रितेश भंवर उम्र 19 साल निवासी ग्राम उरवा, जिला खरगोन बताया गया है. चंदन नगर थाना प्रभारी, तिलक कारोले ने इस संबंध में बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर किया है. रिमांड पर लेकर शराब के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

होटल की छत पर काम कर रहे तकनीशियन को करंट लगा, मौत

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित ग्रांड होटल की छत पर काम के दौरान 26 वर्षीय तकनीशियन की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक आकाश पिता गंगाराम, निवासी शिव बाग, खजराना, सोलर पैनल से संबंधित कार्य करने होटल पहुंचा था. छत पर जमा बारिश का पानी हटाते समय वह पास से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से झुलस गया. होटल कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई बंद कर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है.

डॉ. सीमा अलावा की दोहरी उपलब्धि

- पुस्तक का विमोचन और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सम्मान

इंदौर. एडिशनल डीसीपी मुख्यालय डॉ. सीमा अलावा की पुस्तक द रोल ऑफ जेंडर इन पुलिसिंग:चैलेंजेज, राइट्स एंड वर्कप्लेस का शनिवार को प्रीतमलाल सभागार में विमोचन किया गया. यह पुस्तक उनके पीएचडी शोधकार्य पर आधारित है, जिसमें पुलिस व्यवस्था में लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और कार्यस्थल की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है.

समारोह में स्पेशल डीजी सीआईडी पवन श्रीवास्तव सहित शिक्षाविद, पुलिस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. इस दौरान डॉ. सीमा अलावा को 50 मीटर लंबी हस्तनिर्मित रामायण चित्रकला के लिए इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित भी किया गया. यह सम्मान भारतीय संस्कृति और जनजातीय कला के संरक्षण व संवर्धन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया.

एक नजर में

गंदगी और दुर्गंध से व्यापारी व किसान परेशान, स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल, सड़ी-गली सब्जियों के ढेर से फैल रही बदबू

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी चोइथराम मंडी के हाल बेहाल

नवभारत न्यूज

इंदौर. मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडियों में शामिल चोइथराम मंडी इन दिनों गंदगी और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है. मंडी परिसर में जगह-जगह सड़ी-गली सब्जियों के ढेर लगे होने से वातावरण दूषित हो रहा है. तेज दुर्गंध के कारण किसानों, व्यापारियों, हम्मालों और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मंडी की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार दिखाई नहीं दे रहा है.

जानकारी के अनुसार मंडी में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों की आवक होती है. इनमें से खराब और अनुपयोगी हो चुकी सब्जियां खुले में ही फेंक दी जाती हैं. समय पर उनका उठाव और उचित निस्तारण नहीं होने के कारण वे सड़ने लगती हैं, जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध फैल जाती है. बरसात के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. मंडी में व्यापार करने वाले लोगों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने के कारण कचरे के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कई स्थानों पर नालियां भी गंदगी से भरी हुई हैं, जिससे स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती दिखाई दे रही है. किसानों का कहना है कि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है.

स्वच्छता पर नहीं देते ध्यान-प्याज लेकर मंडी पहुंचे किसान रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि जब भी वे अपनी उपज लेकर चोइथराम मंडी आते हैं, उन्हें लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है. उनके अनुसार मंडी परिसर में स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और सड़ी-गली सब्जियों से उठने वाली दुर्गंध के बीच काम करना मजबूरी बन गया है.

नियमित सफाई की जाए

किसानों और व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि परिसर की नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और सड़ी-गली सब्जियों के तत्काल उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.